*वर्ष 2024 में विनियामक अंतर्दृष्टि**

एम. राजेश्वर राव

शुभ संध्या,

इस विशिष्ट सभा के बीच यहां उपस्थित होना वास्तव में प्रसन्नता की बात है। शिखर सम्मेलन का विषय, *'राइज ऑफ दि इंडियन स्प्रिंग'* , प्रासंगिक और प्रेरणादायक दोनों है, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते मार्ग और प्रोफाइल को दर्शाता है, बल्कि देश के अंदर और दुनिया भर में प्रबल मनोभावों को भी दर्शाता है।

एक विनियामक के रूप में, हमारा प्रयास हमेशा एक उपयुक्त विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे के साथ एक मजबूत और सुदृढ़ वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली को बढ़ावा देना है। इसलिए आज अपने संबोधन के दौरान, मैं कुछ दृष्टिकोणों को साझा करना चाहता हूं कि कैसे हम देश की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कवच बनाने हेतु भारतीय वित्तीय प्रणाली और संस्थाओं को तैयार करने के लिए सक्षम विनियामक ढांचे का निर्माण कर रहे हैं।

वर्तमान में हमारे समक्ष प्रस्तुत तकनीकी प्रगति और नवोन्मेष, वित्तीय क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण वादा करते हैं। उनके पास वित्तीय फर्मों की पहुंच बढ़ाने, ग्राहकों के लिए उत्पादों की पेशकश और सुविधाएं बढ़ाने, अब तक वंचित क्षेत्रों में वित्त के दायरे का विस्तार करने के साथ उनके लिए इसे कम लागत पर वितरित करने के अतिरिक्त लाभ की अपार क्षमता है। इसके साथ ही, हमें ऐसी संभावनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में फिनटेक फर्मों सहित नए प्रवेशकर्ताओं, वित्तीय सेवा प्रदाताओं के संसार को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। यह बाजार संकेंद्रण और प्रतिस्पर्धा के स्तर को प्रभावित कर सकता है और नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

* प्रदीप कुमार, पेशीमाम खबीर अहमद और प्रमांशु राजपूत द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

मुंबई में मिंट द्वारा 30 मार्च 2024 को आयोजित इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट एंड अवार्ड्स में - श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष वक्तव्य दिया गया।

विनियामकीय सिद्धांत

विनियमों को वित्तीय क्षेत्र में विश्वास स्थापित करने, अखंडता को सक्षम बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आधारशिला के रूप में माना जा सकता है। विनियम, नवोन्मेषों को बढ़ावा देने और लोक हित के संरक्षण के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन सुनिश्चित करते हुए, उद्योग आचरण की सीमाओं को परिभाषित करते हैं।

आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि मैं हमारे संभावित केंद्र-बिंदु के विशिष्ट क्षेत्रों पर बात करूँ, मैं कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करना चाहूंगा जो आमतौर पर हमारे विनियामक दृष्टिकोण को तय करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जबकि प्रत्येक नीति निर्माण प्रक्रिया एक विशिष्ट आवश्यकता सेट के समाधान पर केंद्रित होती है, जिसका अपना एक खांका और वैशिष्ट्य होता है, नीति निर्माता तीन व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने चाहिए, यथा - विवेक, आनुपातिकता और सक्रियता। भारतीय वित्तीय परिदृश्य और संस्थागत व्यवस्था की गतिशीलता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक में हमारे लिए एक और सिद्धांत "विनियमों के प्रति सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण" प्रासंगिक है।

विनियमों में विवेक

वित्तीय विनियमों में विवेक, वित्तीय प्रणाली के भीतर जोखिम प्रबंधन में सतर्क और समझदार होने को संदर्भित करता है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वित्तीय संस्थाएं पर्याप्त पूंजी बनाए रखें, पर्याप्त प्रावधान करें और वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता या प्रणालीगत विफलता ला सकने वाले अत्यधिक जोखिम लेने से रोकने के लिए सुदृढ़ वित्तीय निर्णय लें।

संकट की घटनाओं ने बार-बार प्रदर्शित किया है कि एक या कुछ संस्थाओं द्वारा विवेकपूर्ण व्यवहार की कमी न केवल संबंधित इकाई को प्रभावित कर सकती है, बल्कि संभावित रूप से एक प्रणालीगत संकट में तब्दील हो सकती है। इसलिए, जब विकास महत्वाकांक्षाओं के सामने जोखिम प्रबंधन और विवेक का महत्व कम हो जाता है, तो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और बड़े हितों की रक्षा के लिए विवेकपूर्ण विनियमों के रूप में रक्षा कवच (सेफ्टी नेट) के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक पर एक उत्तरदायित्व होता है।

विनियमन के प्रति आरबीआई के विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू, बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के पर्यवेक्षण

और निगरानी के लिए मजबूत प्रक्रियाएं हैं। आरबीआई इसके माध्यम से, संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ-साथ विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का गहन मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य संभावित कमजोरियों की पहचान करना और उनका त्वरित समाधान करने में आरबीआई की मदद करना है, जिससे वित्तीय प्रणाली की समुत्थानशीलता बढ़ सके।

विनियमों में आनुपातिकता

आनुपातिकता का सिद्धांत एक ऐसी अवधारणा है जिसे हमने पहले चिन्हित किया है और हमारे हाल के कुछ विनियमों में लागू किया है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में अति-विनियमन से अनुपालन लागत में वृद्धि हो सकती है जिससे बाजार के भागीदारों के बीच दक्षता और नवोन्मेष प्रभावित हो सकता है। तदनुसार, एक नाजुक संतुलन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो विनियमित संस्थाओं पर अनुचित भार डाले बिना महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करता है।

आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए एक सूक्ष्म रणनीति का पर्याय है कि विनियमों की तीव्रता, पहचाने गए जोखिमों के अनुरूप होती है। हमारे नीतिगत उपायों जैसे एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियम, यूसीबी के लिए स्तरीय विनियम और विशिष्ट बैंकों अर्थात लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए अनुरूप विनियम, इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।

विनियमों में सक्रियता

वर्तमान समय में विनियमों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना एक आवश्यकता है। विनियमन में एक पूर्वानुमान दृष्टिकोण उभरते रुझानों की पहचान और विश्लेषण करने पर जोर देता है ताकि जोखिमों के किसी भी निर्माण को सक्रिय रूप से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, यह बदलते परिदृश्य की मान्यता की सुविधा प्रदान करता है तथा उभरती चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच नई गतिविधियों को समायोजित करने के लिए विनियामकों के लिए मूल्यवान इनपुट प्रदान करता है।

सक्रिय होने का मतलब बाजार नवोन्मेषों और वैश्विक रुझानों के प्रति अवगत रहना भी है। रिज़र्व बैंक ने हमेशा जिम्मेदार नवोन्मेषों का समर्थन किया है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। हालांकि, विनियमन और नवोन्मेष के बीच एक समझौताकारी समन्वयन की संभावना हमेशा होती है। एक बदलते वित्तीय परिदृश्य के विनियामकों के रूप में, हमें बाजारों में नए विचारों/रुझानों के पनपने के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनके स्केल को समझने की कोशिश करें और समझें, बाजार को बाधित करने की उनकी क्षमता का आकलन करें तथा यदि कहीं आवश्यक हो तो हस्तक्षेपों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, विनियामकीय परीक्षण स्थल (सैंडबॉक्स) एक ऐसी पहल है जहां प्रायोगिक कार्यक्रमों का बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के नियंत्रित वातावरण में परीक्षण किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विनियम, नवोन्मेषों के लिए पूर्व-प्रतिरोधक या प्रतिक्रियाशील होने के बजाय नए उत्पादों/सेवाओं के साथ सहवर्ती रूप से विकसित हों।

विनियमों के लिए सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण

भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषता विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं। इनमें से कई संस्थाएं अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाले विशिष्ट भागीदार हैं। इसलिए, उन्हें विशिष्ट विनियामक उपचार की आवश्यकता होती है। विशिष्ट विनियामक उपचार की अनुमति देने की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम "समान गतिविधि", “समान जोखिम" और "समान विनियमों" के दृष्टिकोण को अपनाने की तलाश कर रहे हैं।

यह दृष्टिकोण वित्तीय प्रणाली में गतिविधि का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करके हमारी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है। यह प्रणालीगत जोखिमों की पहचान, क्रॉस-सेक्टोरल लिंकेज की निगरानी और संभावित कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रत्याशित उपायों की शुरुआत की अनुमति देता है। तथापि, मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, जो मैंने पहले कही थी कि सामंजस्य का अर्थ विनियमों का एक समान समूह निर्धारित करना नहीं है। वास्तव में सामंजस्य एक जोखिम-आधारित परिप्रेक्ष्य पर जोर देता है, जिसमें विनियामक आवश्यकताओं को प्रत्येक प्रकार की वित्तीय इकाई और गतिविधि से जुड़े विशिष्ट जोखिमों के अनुरूप बनाया जाता है। विचार यह है कि विनियामक मध्यस्थता, विनियमित इकाई द्वारा प्रयोग करने योग्य विकल्प नहीं हो सकता है।

[1] आरबीआई भाषण: नो मोर ए शैडो (ऑफ) बैंक - https://आरबीआई.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1416

जबकि हम विनियमों को तैयार करने में इन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रहते हैं, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी भी परिपक्व अर्थव्यवस्था में, विनियमों को अंततः नियम-आधारित दृष्टिकोण से सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित होना चाहिए। रिज़र्व बैंक भी सिद्धांत-आधारित विनियमों को अपनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका अर्थ है कि विनियामक व्यापक सिद्धांतों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे विनियमित संस्थाओं द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति मिलेगी। यह विनियामक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ लचीलेपन को संतुलित करने में मदद करता है। हालांकि, इस तरह के दृष्टिकोण की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता एक वित्तीय परिदृश्य है जो अनुशासन और अनुपालन, दोनों को शाब्दिक अर्थ तथा अंतर्निहित भावना के स्तर पर महत्व देता है। अन्यथा, सिद्धांत-आधारित तंत्र के अंतर्गत उपलब्ध लचीलेपन का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, बाजार भागीदारों को अपने स्वयं के हित में अपनी अनुपालन संस्कृति और अभिशासन ढांचों को उपयुक्त रूप से मजबूत करने के माध्यम से ऐसे विनियामक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

विनियामकीय केंद्र-बिंदु के उभरते क्षेत्र

अब, मैं उन उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो वर्तमान में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये केवल फिनटेक के विकास तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वित्तीय सेवा क्षेत्र के स्पेक्ट्रम को पार करते हैं।

आगे चलकर, केंद्र-बिंदु के कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के लाभों का उपयोग करने, अच्छी ग्राहक सेवा और आचरण सुनिश्चित करने, विनियमित संस्थाओं के भीतर एक मजबूत अभिशासन और अनुपालन ढांचे को सक्षम करने, मौजूदा विवेकपूर्ण विनियमों को सुदृढ़ बनाने और परिष्कृत करने तथा ऋण देने में चक्रीयता से होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करने के मुद्दे शामिल होंगे।

प्रौद्योगिकी के लाभों का उपयोग करना

ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां बहुत-सा कार्य प्रक्रियाधीन है, वह है वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करना और यह आकलन करना है कि आरबीआई एक विनियामक के रूप में वृहत्तर लोक हित के लिए प्रौद्योगिकी के लाभों का उपयोग कैसे कर सकता है। आज की डिजिटल क्रांति की नींव भारत सरकार के डिजिटलीकरण पर ज़ोर और रिज़र्व बैंक द्वारा सक्षम विनियमों पर टिकी हुई है। उदाहरण के लिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप समिति (एफएसडीसी-एससी) ने अप्रैल 2016 में फिनटेक के विस्तृत पहलुओं और इसके निहितार्थों को देखने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की थी ताकि विनियामक ढांचे की समीक्षा और उसे पुन: उन्मुख किया जा सके। यह अप्रैल 2016 में जारी किए गए समकक्षीय (पी2पी) उधार के लिए ढांचे की अगली कड़ी थी। इसके बाद, आरबीआई ने अगस्त 2019 में अपना विनियामकीय परीक्षण स्थल (सैंडबॉक्स) स्थापित किया। यहां हम सभी भारत में भुगतान क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं जहां हम देश की प्रगति और कौशल पर गर्व कर सकते हैं।

कोविड के बाद, डिजिटल अर्थव्यवस्था को संबल मिला था और अनुकूलन दरों में कई गुना वृद्धि हुई है। इससे नई चुनौतियां सामने आई हैं, विशेष रूप से डिजिटल ऋण उत्पादों में, जैसे कि अनिवार्य प्रथाएं, अस्पष्ट स्वरूप और अत्यधिक ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्कों से संबंधित मुद्दे। इनमें से कुछ मुद्दों को हल करने के लिए, आरबीआई ने ऐसी प्रथाओं को विनियमित करने के लिए वर्ष 2022 में डिजिटल उधार संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। इसके अलावा, जब उद्योग ने चूक हानि गारंटी जैसी संरचनाओं के माध्यम से नवोन्मेष किया, तो आरबीआई ने जून 2023 में उपयुक्त विनियम जारी करके ऐसी पहल का समर्थन किया। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर फिनटेक नवोन्मेषों का समर्थन करने के लिए विनियमों के माध्यम से उन्हें पोषित करने में अपने कई वैश्विक समकक्षियों से आगे रहने का प्रयास किया है।

जैसा कि मैंने पहले[2] का उल्लेख किया है कि नए भागीदारों के वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने और खेल के नियमों को बाधित करने के साथ, ग्राहक के कारोबार पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए बैंक प्रतिस्पर्धा करने वाली संस्थाओं में से एक बन सकते हैं। इसलिए, बैंकों के साथ-साथ विनियामकों के ध्यान की धुरी को मध्यस्थता प्रतिमान से बाजार प्रतिमान में बदलना होगा। जैसे-जैसे उपभोक्ता प्राथमिकताएं बदलती हैं, बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग को अपने कारोबार मॉडल, प्रक्रियाओं और

---

[2] पर उपलब्ध वित्तीय क्षेत्र के प्रतिमान - https://आरबीआई.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1397 पर उपलब्ध।

उत्पादों को नई दिशा देनी होगी। इस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए, आरबीआई ने बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर अपना आधारभूत काम शुरू कर दिया है जैसे कि कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), डिजिटल लेजर आदि की उपयोगकर्ता सहायिका (यूज केसेज) पर। मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा कि प्रौद्योगिकी के समक्ष डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जन्य धोखाधड़ी के रूप में चुनौतियों का अपना समूह होता है। वास्तव में ये ऐसे क्षेत्र हैं जो न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विनियामकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा और आचरण को मजबूत करना

आप सभी ने देखा होगा कि हमारी विनियमित संस्थाओं के आचरण संबंधी पहलुओं को मजबूत बनाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने पिछले एक वर्ष में रिकवरी एजेंटों को नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारियों, ऋण संबंधी उत्पादों के मूल्य निर्धारण से संबंधित आचरण विनियमों को मजबूत करने, ऋण संबंधी प्रतिभूति दस्तावेजों की वापसी, क्रेडिट स्कोरिंग की रिपोर्टिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने आदि के बारे में निर्देश जारी किए हैं। उधारदाताओं के लिए अपने उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करने की हालिया घोषणा, जो शीघ्र ही जारी की जाएगी, भी इस दिशा में एक प्रयास है। इन विनियामक पहलों से आरई द्वारा उधार देने में अधिक जिम्मेदार उधार आचरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विनियामक क्षेत्र पर इन प्रयासों को, बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की निष्पक्ष, सक्षम, कुशल और पारदर्शी सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्थाओं के आचरण की उपयुक्त पर्यवेक्षी जांच द्वारा संपूरित किया जा रहा है।

जैसे-जैसे हम आचरण-आधारित विनियमों को तैयार करने और लागू करने संबंधी चिंताओं को दूर करने की दिशा में अपने दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं, इसका 'मार्गदर्शक सिद्धांत' न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं को निर्धारित करना होगा, जिसमें संस्थाओं के लिए उनके आकार, आनुपातिकता और ग्राहक केंद्र-बिंदु के आधार पर उच्च मानकों को अपनाने का विकल्प होगा। विनियमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक झूठे वादों से गुमराह न हों और/या अनुचित प्रथाओं के शिकार न बनें।

अभिशासन और अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन में सुधार

एक अन्य ध्यान देने-योग्य क्षेत्र, विनियमित संस्थाओं में अभिशासन में सुधार है। यदि कोई बैंकिंग व्यवसाय के प्रतीक के रूप में एकल अभिव्यक्ति चुनता है, तो यह 'जोखिम प्रबंधन' होना चाहिए। यह कई कारकों से उत्पन्न होता है जिनमें जमाकर्ताओं के संबंध में बैंक की प्रत्ययी भूमिका, वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ उनकी महत्वपूर्ण बातचीत और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका शामिल हैं। एक मजबूत अभिशासन ढांचा और एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रभावी निगरानी, विनियामक के उद्देश्यों के लिए अधिक पूरकता प्रदान करती है।

यह मानते हुए कि अभिशासन एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का आधार है, बोर्ड और बोर्ड की कतिपय समितियों की संरचना के संबंध में अनेक परिचालनात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक आदि। रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी अपेक्षाओं पर तथा जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा के तीन महत्वपूर्ण आश्वासन कार्यों के लिए पर्याप्त अधिकार, संसाधन और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। बोर्ड/डों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियंत्रण और आश्वासन कार्यों के प्रमुख की पहचान करने/अनुमोदन करने तथा बोर्ड और इन आश्वासन कार्यों के बीच संचार का स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। एक स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा जांच किए गए निरंतर आश्वासन से न केवल विनियामकों को, बल्कि संस्थान प्रबंधनों को भी राहत मिलनी चाहिए।

विवेकपूर्ण विनियमों को सुदृढ़ बनाना

आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण विनियमों को युक्तिसंगत बनाना और जहां भी आवश्यक हो, सुदृढ़ करना जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक अपने तुलन-पत्रों में जोखिमों को पहचानें और सक्रिय रूप से उनका प्रबंधन करें। उदाहरण के लिए यह देखते हुए कि हमारी वित्तीय प्रणाली काफी हद तक बैंक द्वारा संचालित है, इसे और अधिक समुत्थानशील बनाने के लिए आरबीआई, बैंकों में ऋण हानि प्रावधान के लिए प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) आधारित ढांचा

प्रस्तुत कर रहा है जो एक भविष्योन्मुखी उपाय है और दबाव का प्रमुख सूचक है। इसके जारी होने पर यह आशा की जाती है कि यह ऋण जोखिम के मूल्यांकन को बदल देगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक चक्रीय मंदी के किसी भी प्रभाव का सामना करने में सक्षम बनने के लिए व्यापार चक्र के माध्यम से पर्याप्त बफर का निर्माण करें।

इसके अलावा, ऋण जोखिम के विविधीकरण को सुविधाजनक बनाने और बाजार-आधारित ऋण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम विनियामक ढांचे स्थापित किए गए हैं। पारंपरिक प्रतिभूतिकरण संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 सितंबर 2021 को 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण' पर निदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, दबावग्रस्त ऋणों के क्षेत्र में सुदृढ़ द्वितीयक बाजार विकसित करने की दृष्टि से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक ढांचा तैयार किया जा रहा है।

संशोधित बासेल III दिशानिर्देशों की नियोजित प्रस्तुति के साथ मिलकर ये सुधार, बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में सहायता करने के लिए एकल संस्थान की क्षमता को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

प्रचक्रीय उधारी के कारण युक्त जोखिम

अनियंत्रित ऋण वृद्धि और ऋण अनुशासन या हामीदारी मानकों में कोई भी ढिलाई संबंधित वित्तीय इकाई की सुदृढ़ता के लिए हानिकारक हो सकती है और यदि व्यापक हो, तो प्रणालीगत चिंताओं को जन्म दे सकती है।

इस दृष्टिकोण से, हालिया समय में उपभोक्ता ऋण खंड, विशेष रूप से असुरक्षित पोर्टफोलियो की ओर काफी महत्वपूर्ण ऋण-उठाव (क्रेडिट-ऑफ) देखा गया था। इसके अलावा, बैंक उधारियों पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता विनियामकीय चिंताओं को बढ़ा रही है। हालांकि आस्ति गुणवत्ता, व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर दबाव के किसी भी प्रमुख संकेत को नहीं दर्शा रही थी, उपरोक्त क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई लगातार उच्च ऋण वृद्धि के कारण उनमें विनियामक मध्यक्षेप की आवश्यकता थी। तदनुसार, समष्टि विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य से कतिपय मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय किए गए थे।

विनियामकों के रूप में, हम वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर और परिधि, दोनों से उभर रहे जोखिमों को कम करने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल उधार संबंधी दिशानिर्देशों में इस बात की परिकल्पना की गई है कि विनियमित इकाई, उधार देने संबंधी निर्णयों के लिए आवश्यक समुचित सावधानी बरतती है, भले ही ऋण एक ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) के माध्यम से लिया जा रहा हो। फिनटेक भागीदारों के माध्यम से उधारकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें ऑनबोर्ड करने के लिए बैंकों/एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता का मतलब हामीदारी मानकों को कम करना और जोखिमों का अनुचित मूल्य निर्धारण नहीं होना चाहिए।

एक विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, हम प्रचलित मॉडलों और प्रथाओं की जांच कर रहे हैं कि जोखिम प्रबंधन और विवेकपूर्ण ऋण हामीदारी मानकों से समझौता किए बिना, प्रभावी ऋण वितरण के लिए उनका सर्वोत्तम लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

समापन विचार

मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अब तक जो कुछ भी साझा किया गया है, वह विनियामकीय केंद्र-बिंदु के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का एक उदाहरण है। साथ ही, कई अन्य पहलू हैं जो विनियामकीय घेरे में बने हुए हैं। मुझे विश्वास है कि एक सामूहिक, परामर्शी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से वर्तमान और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतिगत उपायों का उपयुक्त समूह तैयार करना संभव होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से, हम एक स्थिर और समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने में सक्षम होंगे, जो हमारे देश की उभरती जरूरतों को प्रभावी तरीके से पूरा करेगी।

अंत में, मैं एक बार पुनः जोर देना चाहूंगा कि वित्तीय परिदृश्य के विकसित होने और बदलने के बावजूद, सुशासन, मजबूत जोखिम प्रबंधन, प्रभावी अनुपालन, ग्राहक संरक्षण और जिम्मेदार कारोबार आचरण के अंतर्निहित सिद्धांत तेजी से प्रासंगिक होंगे। संगठन के भीतर एक मजबूत संस्कृति, जो इन सिद्धांतों को अपनाते हुए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, दीर्घावधि में प्रणाली और संस्थानों को अच्छी स्थिति में रखेगी।

नमस्कार !!